न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– गोपाल परिहार, आर.ए.एस.

राजस्व विविध वाद / प्रार्थना–पत्र संख्या : 38 / 2020

प्रार्थी:–

मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर जरिये जनरल सेक्रेट्री – निसार अहमद खिलजी पुत्र श्री अब्दुल रशीद खिलजी, आयु 61 वर्ष, पता– मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, पाल लिंक रोड, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर एवं अन्य
2. उत्तम जैन पुत्र मेघराज जैन, जाति ओसवाल, निवासी 441–ए, द्वितीय–सी–रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स, 1957 बाबत रेकर्ड दुरस्ती

उपस्थिति :
1. प्रार्थी की ओर से अभिभाषक–श्री मोती सिंह राजपुरोहित एवं श्री ऊर्जाराम पटेल
2. अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से राजकीय पैरोकार
3. अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से अभिभाषक श्री प्रेम कुमार देवडा

दिनांक:– 16.12.2020

–: आदेश :–

यह है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है यह कि प्रार्थी मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, जोधपुर जरिये जनरल सेक्रेट्री ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम एवं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रिकॉड रूल्स, 1957 बाबत् रेकड दुरस्ती प्रस्तुत करके निवेदन किया कि :-

1. यह कि प्रार्थी संस्था की आवंटित शुदा कृषि भूमि मूल खसरा नं. 38 एवं वर्तमान खसरा नम्बर 433/38 रकबा 140 बीघा ग्राम बुझावड पटवार हल्का डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर में स्थित है।
2. यह है कि उक्त खसरा में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा खसरा नं. 38 में भूमि जो सडक दर्ज की गई है, की तरमीम वर्तमान में दर्ज की गई है वह त्रुटिपूर्ण है तथा मौके पर चल रहे सडक के अनुरूप नही है।
3. यह कि खसरा नम्बर 35, 36 एवं 37 में जो सडक की तरमीम की गई है वह मौके की स्थिति के अनुरूप नहीं है एवं मौके पर चल रही सडक तथा नक्शे में की गई तरमीम भिन्न-भिन्न है जो दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।
4. यह है कि प्रार्थी संस्था को भूमि आवंटित हुए काफी वक्त गुजर चुका है परन्तु इसके बावजूद आज दिन तक प्रार्थी संस्था के नाम आवंटित भूमि की कब्जे अनुसार तरमीम दर्ज नहीं की गई है जबकि भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का का यह वैधानिक दायित्व है कि आवटन के पश्चात् कब्जा सुपुर्दगी के वक्त ही आवंटितशुदा भूमि की माफिक कब्जे के तरमीम दर्ज करनी चाहिए।
5. यह कि प्रार्थी संस्था को आवंटित भूमि प्रार्थी संस्था के कब्जे में है तथा चारदीवारी का भी काफी हद तक निर्माण करवा लिया गया है परन्तु तरमीम नही होने के कारण प्रार्थी सस्था अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पा रही है।
6. यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण तरमीम होने के कारण आवंटियों एवं खातेदारों में विवाद की सभावना पैदा हो गई है इसलिए खसरा नम्बर 38 में से दर्ज की गई सडक की तरमीम मौके अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा तहसीलदार लूणी को यह निर्देश भी दिया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी संस्था के नाम आवंटित भूमि की खसरा नम्बर 38 में तरमीम दर्ज करे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

7. यह है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम बुझावड की फिल्डबुक के खसरा नम्बर 38 मे जो त्रुटिपूर्ण तरमीम दर्ज की गई है उसे माफिक दुरूस्ती के हटाया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य मे भूमि के अधिकारो के सम्बन्ध मे कोई विवाद पैदा न हो।

8. यह है कि प्रार्थी संस्था को इस बात की जानकारी दिनांक 31.10.2019 को जब प्रार्थी संस्था की तरफ से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गई तब हुई एवं उसी रोज पटवारी से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी सस्था के नाम अब तक तरमीम दर्ज नही हुई है।

9. यह है कि प्रार्थना पत्र फिल्डबुक मे त्रुटि दुरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा–131 सपठित धारा–136 भू राजस्व अधिनियम एवं नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स, 1957 के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी संस्था का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 भू राजस्व अधिनियम एव नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स, 1957 का स्वीकार फरमाया जावे और अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावे कि ग्राम बुझावड की फिल्डबुक के खसरा संख्या 38 मे गलत रूप से की गई सडक की तरमीम को दुरूस्त करे तथा प्रार्थी सस्था के नाम आवटित भूमि खसरा संख्या 38 वर्तमान जमाबंदी इन्द्राज अनुसार खसरा नम्बर 433/38 मे प्रार्थी सस्था की भूमि की तरमीम मौका अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करवाया जावे।

यह है कि प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार लूणी को नोटिस जारी किया। तहसीलदार लूणी ने अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जिसमे निवेदन किया गया कि राजस्व विविध प्रार्थना सं. 38/2020 अनवान मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी बनाम तहसीलदार लूणी अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम धारा 111, 128, 131 की जॉच इस कार्यालय के आदेश क्रमाक/भू.अ./2020/4422 दिनाक 17.02.2020 के द्वारा भू.अ. निरीक्षक व हल्का पटवारी की सयुक्त टीम गठित कर जॉच करवायी गयी जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

मारवाड मुस्लिम एज्यूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी जोधपुर के नाम ग्राम बुझावड की वर्तमान जमाबंदी चौसाला सम्वत् 2071–2074 के खाता संख्या 199 मे संस्था के नाम खसरा नम्बर 433/38 रकबा 140 बीघा किस्म वा 4 दर्ज है तथा वर्तमान लट्ठा नक्शा मे ख.सं. 433/38 की तरमीम नही है जबकि ग्राम बुझावड नामान्तरकरण संख्या 258 की पुश्त पर उक्त संस्था को आवंटित 140 बीघा भूमि का नजरी नक्शा बना हुआ है जिसमे ख.स. 38 मे PWD द्वारा अवाप्त सडक भी दर्शायी हुई है। मौके अनुसार वर्तमान उक्त भूमि पर संस्था का आंशिक भवन निर्माण किया हुआ है जिसमे महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है तथा शेष खाली पडी भूमि पर संस्था का कब्जा है यह है कि ग्राम बुझावड मे गंगाणा सरहद से बुझावड की तरफ PWD की सडक जो कि ख.स 35, 36, 37, 38 मे से चल रही है वर्तमान लट्ठा नक्शा मे ख.स 35, 36, 37, 38 मे उक्त सडक की तरमीम की हुई है किन्तु तरमीम एवं मौके पर चल रही सडक की स्थिति मे भिन्नता है जहाँ पर सडक बनी हुई है वहाँ पर तरमीम नही है। ग्राम बुझावड के नामान्तरकरण संख्या 59 एवं 82 के द्वारा ख.सं. 35, 36, 37, 38 में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 22.10.1977 सडक हेतु भूमि अवाप्त की गई थी एवं नामान्तरकरण स 59 एव 82 में पुश्त पर अवाप्त भूमि का नजरी नक्शा नही बना हुआ है ख.स. 37 मे उक्त सडक की तरमीम श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय लूणी के मुकदमा स. 67/2014 निर्णय दिनांक 13.06.2016 द्वारा दुरूस्त की हुई है जो लट्ठा नक्शा मे भी दुरूस्त की गई है। अतः वर्तमान मे उक्त संस्था की ख.स 433/38 रकबा 140 बीघा भूमि एवं PWD की सडक जो ख.सं. 35, 36, 37, 38 मे है चल रही है।

10. यह है कि अप्रार्थी संख्या–2 श्री उत्तम जैन पुत्र श्री मेघराज जैन, जाति ओसवाल ने जरिए अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवडा ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करके पक्षकार बनने का निवेदन किया। प्रार्थी श्री उत्तम जैन का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे अप्रार्थी संख्या–2 के रूप मे संस्थापित किया गया।

पत्रावली प्रस्तुत हुई तथा उभेय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दुओं को दोहराते हुए

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

निवेदन किया गया कि संस्था को खसरा नम्बर–38 में 140 बीघा भूमि आवंटित है जिसकी चालू नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की हुई है, अत: तरमीम की जावे और तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जावे कि ग्राम बुझावड की फिल्डबुक के खसरा सख्या 38 में गलत रूप से की गई सड़क की तरमीम को दुरूस्त करे तथा प्रार्थी संस्था के नाम आवंटित भूमि खसरा सख्या–38 वर्तमान जमाबंदी इन्द्राज अनुसार खसरा सं. 433/38 में प्रार्थी संस्था की भूमि की तरमीम मौका के अनुसार दर्ज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी सख्या–1 तहसीलदार लूणी ने अपने प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि ग्राम बुझावड में गंगाणा सरहद से बुझावड की तरफ से PWD की सड़क जो कि खसरा नम्बर 35, 36, 37 व 38 में चल रही है वर्तमान लट्ठा नक्शा में खसरा संख्या 35, 36, 37 व 38 में उक्त सड़क की तरमीम की हुई है किन्तु तरमीम एवं मौके पर चल रही सड़क की स्थिति में भिन्नता है जहाँ पर सडक बनी हुई है वहाँ पर तरमीम नहीं है। ग्राम बुझावड के नामान्तरकरण संख्या 59 एवं 62 के द्वारा खसरा सख्या 35, 36, 37 व 38 में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 22.10.1977 द्वारा सडक हेतु भूमि अवाप्त की गई थी एवं उक्त भूमि के जो नामान्तरकरण सख्या 59 एव 82 दर्ज किये गये थे उनकी पुश्त पर अवाप्त भूमि पर नजरी नक्शा नहीं बना हुआ है। इसका आशय यह है कि उस वक्त उक्त भूमि की तरमीम नहीं की गई थी। तहसीलदार के द्वारा अपनी रिर्पोट में यह भी उल्लेख किया कि खसरा नम्बर 37 में उक्त सड़क की तरमीम श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, लूणी के मुकद्मा संख्या 67/2014 निर्णय दिनांक 13.06.2016 के द्वारा तरमीम दुरूस्त की गई थी जो लट्ठा नक्शा में मौजूद है।

विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के अनुसार सड़क में तरमीम में दुरूस्ती की जावे एवं संस्था को आवंटित भूमि का माफिक रिकॉर्ड एवं मौका तरमीम करने के आदेश तहसीलदार लूणी को दिये जावे।

अप्रार्थी संख्या–2 के अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि खसरा संख्या–37 में चल रही तरमीम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

राजकीय अभिभाषक के द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि PWD की सडक जो खसरा नम्बर 35, 36, 37 व 38 में चल रही है उसकी तरमीम मौके के अनुसार नहीं है। अत यह तरमीम मौके के अनुसार संशोधित की जानी आवश्यक है। अत मौका रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है उसके अनुसार तरमीम में संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विचार किया गया और पत्रावली तथा पत्रावली में मौजूद रिकॉर्ड का भली प्रकार से अनुशीलन किया गया और यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम बुझावड की खसरा संख्या 35, 36, 37 व 38 में PWD की रोड में तहसीलदार लूणी की मौका रिपोर्ट के अनुसार संशोधन किया जाकर नक्शे में तदनुसार तरमीम की जावे और संस्था को आवंटित भूमि की तरमीम भी रिकॉर्ड और मौके के अनुसार की जावे।

–: आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम एवं नियम 48, 60 व 62 राजस्थान लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स, 1957 बाबत् रेकर्ड दुरूस्ती एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी सख्या–1 तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम बुझावड में गगाणा सरहद से बुझावड की तरफ PWD की सड़क जो कि खसरा नम्बर 35, 36, 37 व 38 में चल रही है उसे मौके के अनुसार एवं तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.10.2020 के साथ सलग्न मौका फर्द के अनुसार संशोधित करे एवं नक्शे में तदनुसार तरमीम करे एवं संस्था को खसरा सं. 433/38 में आवंटित भूमि की भी तरमीम करने के आदेश दिये जाते है।

16/12/20

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी जिला जोधपुर।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

16/12/20

(गोपाल परिहार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner